

अंचल अधिकारी

का कार्यालय

अभिलेख याद संख्या-

187/16-15

याद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-आ०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजदूरा खास भूमि की कायम की गयी जानकारी को जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणों की भूमि :-

मौजा- रहेमा थाना- 346 खाता संख्या- 41 प्लॉट संख्या- 10/4 रकबा- 1.10 एकड़ की भूमि जो गैरमजदूरा खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के सजी-11 के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- 78/2 पर जमाबंदी रैयत अमी/07/वी के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणों की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणों की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना बांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत की नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 20/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

सविध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जांच प्रतिवेदन

1. सविध/संदेहास्पद जमाबंदी रयत का नाम :- अमी लाल शर्मा
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :- MID मालीम
In-10m
रकबा

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
रहेमा	346	41	10/4	1.10 हठ
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं०- 28/4 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 02-83
5. अधिग्रहण के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :-
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :-
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रयत का नाम :- S.D. S. S. S.
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अतिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - 175/02-83
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
7	4963474	21/2/11	2-802-83

(Signature)

आदेश की
क्रम सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी, तारीख
सहित

1

2

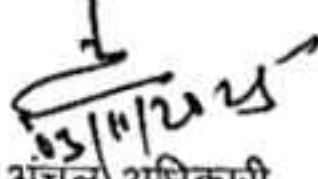
3

आगिएष उपस्थापित किया गया।
प्रतिवादी- पत्र- अनुपस्थित।

अतः पुनः द्वितीय-नोटिस
निर्गत रहे जिस की तिथि
की रहने।



जा

अ.श.की क्र.सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
03/11/25	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैर0 खास खाता सं0-41, प्लॉट सं0- 10/4 कुल रकबा 1.10 ए0 पर जमीला बीबी पति मोबिन मियां के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदा0 सदर मेदिनीनगर के बंदोबस्ती वाद सं0 175/02-03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2003 को मौजा-रहेया थाना नं0-345 के अंतर्गत उक्त खाता सं0-41, प्लॉट सं0- 10/4 रकबा- 1.10 ए0 की बंदोबस्ती उक्त रैयत जमीला बीबी पति मोबिन मियां के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा रहेया के मांग पंजी II के पेज सं0 78/1 पर दर्ज होकर वर्ष 2011-12 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर वाद की कार्रवाई.....की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय
वाद अभिलेख संख्या137...../2016(अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)
नोटिस

बनाम फलीला वीवी w/o रोनिंग फिमा

श्री 10. रेखा

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मैजा रेखा थाना नं०.....346
खाता नं०.....111..... खेसरा नं०.....10/4..... रकबा.....1.10..... से संबंधित आपके नाम से हो० नं०.....
पंजी भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक
माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त :
रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदो, फार्म
सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं त
साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तूत करें ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं क
तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमाबंदी के
में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी ।

इसे सख्त ताकिद जाने ।

तिथि :

मुहर

स्थान :

24/10/24
अंचल अधिकारी
अंचल अधिकारी
मनातू, पतामू

रहेगा में
अन्य गणकारी
मनाद, पलायन।

दिनांक : - अक्टूबर / अक्टूबर जमावही के 10
137/ 2016-17 का जॉय प्रविष्टि के
संबंध में।

03/11/2025
महागल,

उपरोक्त निम्न के संदर्भ में करना है कि
मौजा रहेगा में आरु राजस्व बागजान एवं
नक्सा का मिलान करते अनंत अमीन के साथ
स्थलीय जॉय किया। जॉय के पाला कि 100 खास
खाला 4। एलेंट से 10/4 कुल खवा 1.10 एर पर
अमीन की परि मौविन मिलान के द्वारा जोग-को
मिला जा रहा है। उनके द्वारा जॉय के दौरान वन्देवसी
पत्रा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है,
जिससे पता चलता है कि अनुमति पत्र मेडिनीन
के वन्देवसी वार से 175/02-03 के अनंत-
दिनांक 11-07-03 के मौजा रहेगा खाना नं 345
के अनंत- उक्त खाला 4। एलेंट से 10/4 खवा
1.10 एर की वन्देवसी उक्त रसीद - अमीन की परि
मौविन मिलान के नाम से दुआ है, जिसका
जमावही मौजा रहेगा के मांग पंजी 1 के पेज से
78/1 पर दर्ज होता वर्ष 2011-12 लड रसीद
निर्गत हो रहा है। यह प्रमाण उक्त जमावही
रसिद/ अक्टूबर प्रीत मरी होता है।

आ: उक्त जमावही के रसिद/ -
अक्टूबर जमावही से दुआ किया जा सकता है।

अनंत अमीन
अ. अमीन मनाद
अ. अमीन

विष्णुनाथ
परिनेत सीधे,
2003/10
दस्ता - 11



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

August 20, 2024

पंजी II प्रति

भाग वर्तमान	1	पृष्ठ संख्या	78										
जिला का नाम	पलामू	अनुमंडल नाम	सदर मेदनीनगर	अदालत का नाम	मनातु	हलका का नाम	हल्का-3	इस्टेट का नाम	झारखण्ड				
मौजा का नाम	रहेया	होलिंग संख्या	00	तौजी संख्या	0	धाना नम्बर	0345	खाता का प्रकार	गैरमजसूबा आम				
जमीला बीवी, पति-मोमीन मिश्रा, जाति-													
खाता नम्बर	प्लोट संख्या	रकबा		परिवर्तन के लिए प्राधिकार						लगान	सेस		
41	10/4	1 ऐ 10 डि 0 हे		settlement case no. 175/02-03 by order s.d.o medninagar						9	13.05		
	कुल परिमाण	1 ऐ 10 डि 0 हे											
तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत बातु साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस बातु साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस बातु साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस बातु साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस बातु साल
05/12/2011	4965474	2009	2012	72	9	18	2.25	36	4.5	36	4.5	14.4	1.8

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!

List Of Case Status Details

अवकाश देखें

←BACK

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अधिकारी से संपर्क करें

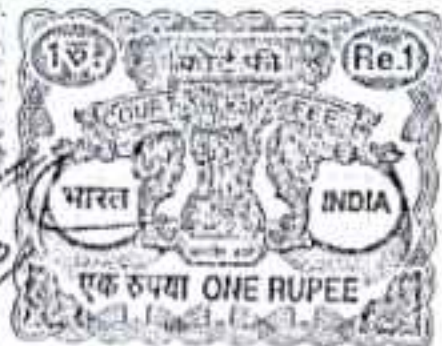
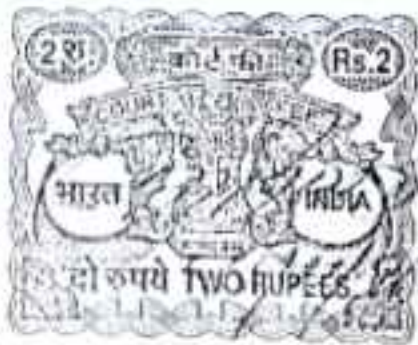
प्लॉट का नक्का देखने के लिए प्लॉट नंबर प्रिंट करें।



Schedule XII - Form No. 13.

Applic

Number and date	Name and residence of applicant	Nature of the information required	Date of which the Information	Signature of pleader receiving application	Remarks
1	2	3	4	5	6
178 22.11/2007	मोहित मिश्रा, पत्नी रवि रमूल मिश्रा रहोम - रहैया, पौवा + बाना मंगरु पिला - पलाय 1	मोहा पंजी II के पेपर नं 78 II पा जमिला नमि w/o मोहित मिश्रा श्वरा - पा को 2 10/4 2007 1.10.07 को दिगांड चलता है। सम्पूर्ण रेकॉर्ड को नष्ट कर दिया। कि- मोहित मिश्रा			



Information of the contents of the application

received

Date and hours of passing on

महाराष्ट्र प्रजिविद्युत निगम लि. गान्धी नगर के
मार्ग पत्र नं. 78/2 पर
प्रमिला लीली सि. 14/0 मंजीन निगम
के नाम से Settlement Case no.
175/2002-03 by. Order S.P.O
Mechinagar के अनुसार खाता नं.
41 लीडर 1/4 रकबा 1.10 रु
2 रु का डिमांड किया है।
लगान 2003-12 तक पवां
है। सुनार्थ रु. 30000 का रिबिट
5 रु का प्रविद्युत सायल समर्पण।

Ronan
29/01/21

29/01/2021
H.M.

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, मौदीनामग जिला पलामू

गैर मजरुआ आम/मालिक भूमि की बन्दोबस्ती कृषि/आवास के लिये

बन्दोबस्ती केश संख्या- 175/02.03

परवाना संख्या- 14

बन्दोबस्तधारी का नाम जमाला नैक

पिता का नाम मौदीनामग

ग्राम रहमा

थाना मलान

जिला पलामू

बन्दोबस्ती की गयी भूमि का विवरण

ग्राम	खाता न०	खेसरा न०	रकबा	चौहदी	लगान
<u>रहमा</u>	<u>41</u>	<u>10</u>	<u>1.10</u>	<u>30</u>	<u>जमाला पट्टी</u>
<u>345</u>		<u>4</u>	<u>रहमा नैक</u>	<u>द०</u>	<u>मौदीनामग</u>
			<u>प०</u>	<u>मौदीनामग</u>	<u>अलावे सेस</u>
			<u>प०</u>	<u>मौदीनामग</u>	<u>बगैरह</u>

बन्दोबस्ती की शर्तें

उपरोक्त जमीन निम्नांकित शर्त के साथ बन्दोबस्त की जाती है।

1. बन्दोबस्तधारी बन्दोबस्ती की लगान भूमि का दखल कब्जा नापी कराकर अंचल अधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।
2. बन्दोबस्तधारी लगान एवं सेस बगैरह नियमित रूप से प्रतिवर्ष अदाय करेंगे/लगान बन्दोबस्ती के वर्ष से देय होगा।
3. बन्दोबस्त की गई जमीन विरासत के योग्य होगी किन्तु किसी भी प्रकार से इसका हस्तान्तरण वैध नहीं होगा।
बन्दोबस्त भूमि की सांस्थिक वित्त अनुरूपित बैंक के पास केवल बन्धक रखा जा सकता है।

परवाना तैयार करने वाले का हस्ताक्षर

अंचल अधिकारी

अनुमंडल पदाधिकारी

2nd-10.2.03

Seh. XIV-F.No. 180V

जिला का नाम फरसगढ़

अनुमण्डल का नाम मेरठ

अंचल का नाम मेरठ

नाम सर्कल। नाम मौजा मय २२५/३४५

थाना वो थाना नम्बर २२५/३४५

V

रसीद मालगुजारी

फरद मालकी/फरद रैयती

नाम रैयत मय वल्लियत जमाबन्दी

वो सकुनत नम्बर। JB

41 4965474

P.N- 78
II

खाता संख्या	खेसरा संख्या
41	10/4 २००८/१००८ (२००८/२००८)

अराजी नकदी

अराजी भावली

तफसील हिसाब लगान भावली

उमर/ली-बीबी १०/० मोमीन १५५

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबद	सालाना	बकाया				हाल २०११-१२
		तीन वर्ष से ज्यादा	३रा वर्ष	२रा वर्ष	१ला वर्ष	
माल } (नकदी)	१०.००				७२.००	१०.००
गुजारी } (भावली)	२.२५				१९.००	२.२५
सेस	४.५०				३६.००	४.५०
*सूद	४.५०				३६.००	४.५०
मुतफरकात	२.२५				१८.००	२.२५
मीजान	२२.५०				१८०.००	२२.५०

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबद	सालाना	बकाया				मोतालबा हाल २०११-१२	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	३रा वर्ष	२रा वर्ष	१ला वर्ष		
माल } (नकदी)	१०.००				७२.००	१०.००	१०२.५०
गुजारी } (भावली)	२.२५				१९.००	२.२५	
सेस	४.५०				३६.००	४.५०	
*सूद	४.५०				३६.००	४.५०	
मुतफरकात	२.२५				१८.००	२.२५	
मीजान अदायकारी	२२.५०				१८०.००	२२.५०	१०२.५०

(१) मीजान कुल (लफजों में) २२५/३४५

(२) नाम देहिन्दा - २२५

(३) कुल बकाया-

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।